कार्यालय कलेक्टर(आबकारी),जिला–सतना (म0प्र0)

E-Mail ID : deo. satna@mpexcise.org

–: विज्ञप्ति:–

दिनांक :– ..../.../2018

देशी/विदेशी मदिरा समूह बेला का ई–टेण्डर के माध्यम से पुर्न निष्पादन की विज्ञप्ति वर्ष 2017–18

—00—

सर्व–साधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारो की विशेष जानकारी के लिए राज्य शासन के आदेशानुसार म0प्र0 राजपत्र (असधारण) क. 27 दिनांक 18 जनवरी 2017 में प्रकाशित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों की निष्पादन व्यवस्था वर्ष 2017–18 के निर्देशो के अध्यधीन सतना जिले की देशी/विदेशी मदिरा समूह बेला **SAT/F-23** के अनुज्ञप्तिधारी पर माह दिसम्बर 2017 तक न्यूनतम ड्यूटी की राशि बकाया रहने के कारण समूह के पुर्न निष्पादन हेतु यह सूचना प्रकाशित की जाती है, की वर्ष 2017–18 की शेष अवधि के लिये अर्थात दिनांक 10.01.2018 से दिनांक 31.03.2018 तक की अवधि के लिये देशी/विदेशी मदिरा मदिरा समूह बेला **SAT/F-23** (01–विदेशी मदिरा दुकान बेला, 01–देशी मदिरा दुकान बेला, 01–देशी मदिरा दुकान मुकुन्दपुर) का पुर्ननिष्पादन निर्धारित प्रक्रिया एवं शर्तो के अधीन कलेक्टर जिला सतना की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा निम्न कार्यक्रम अनुसार दिनांक 09.01.2018 को ई टेण्डर के माध्यम से किया जावेगा।

1	ई–टेण्डर हेतु ऑन लाईन टेण्डर प्रपत्र डाउन लोड करने का समय व तिथियां	दिनांक 04.01.2018 से 08.01.2018 तक तथा दिनांक 09.01.2018 को दोपहर प्रात: 12:00 बजे तक
2	ऑन लाईन ई–टेण्डर ऑफर सबमिट करने का अंतिम समय एवं तिथि	दिनांक 09.01.2018 के दोपहर 13:00 बजे तक।
3	जिला समिति द्वारा ई–टेण्डर के निराकरण किये जाने की तिथि एवं समय	दिनांक 09.01.2018 दिन मंगलवार को 14:00 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक

क.	समूह का नाम	एकल समूह का विवरण		दिनांक 31.12.2017 तक बकाया न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी	मदिरा दुकान/एकल समूह का वर्ष 2017–18 की शेष अवधि दिनांक 10.01.2018 से 31.03.2018 तक कुल 90 दिवस का आरक्षित मूल्य
		देशी	विदेशी		
1	2	3	4	5	6
1-	SAT/F23	–	बेला	1621196	5313593
		बेला	–	552169	3313017
		मुकुन्दपुर	–	234706	1408240
			योग –	**2408071**	**10034850**

टेण्डर द्वारा निष्पादित की जाने वाली मदिरा दुकानों/एकल समूहों की सूची, उनका स्थान, उनका आरक्षित मूल्य, जमा की जाने वाली धरोहर राशि, देशी/विदेशी मदिरा की खपत (सेलपेपर) एवं ड्यूटी की दर, ई–टेण्डर प्रपत्र क्रय करने, भरने तथा जमा करने की प्रकिया आदि की जानकारी सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय जिला सतना से किसी भी दिवस कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।

राजपत्र की कण्डिका 21.3.10 अनुसार टेण्डरदाता द्वारा उक्त मदिरा दुकान के लिये निर्धारित क्षेत्र में आपत्ति रहित स्थल खोजकर स्थापित व संचालित करने का दायित्व स्वयं अनुज्ञप्तिधारी का होगा। दिनांक 9.1.18 को कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला समिति द्वारा टेण्डर की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी तथा गठित समिति का निर्णय अंतिम होगा। शेष शर्ते पूर्वत रहेगी।

1. प्राप्त ऑफर टेण्डर स्वीकृत दिनांक से मान्य होगा।
2. पुन: निष्पादन की कार्यवाही अंतिम होने के पूर्व यदि बकायादार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अवशेष राशि जमा कर दी जाती है तो पुन: निष्पादन की यह कार्यवाही स्वयत: निरस्त मानी जावेगी। जिसके लिये पृथक कोई सूचना जारी नही की जावेगी। 9-1-18
3. दिनांक [illegible] को पुन: निष्पादन सम्पन्न होने पर पुन: निष्पादन स्थल पर घोषित अन्य किसी भी दिनांक को पुर्न निष्पादन की कार्यवाही की जा सकेगी। पुन: निष्पादन हेतु घोषित अगामी तिथि 05 दिवस से कम अवधि की होने पर पुन: विज्ञप्ति जारी करना आवश्यक नही होगा।

संलग्न :– 01 मदिरा दुकानों/एकल समूहों का विकय पत्र वर्ष 2017–18

3-1-18

O/C कलेक्टर,
जिला– सतना (म0प्र0)